Helpline No:- +91 7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141 -2850551–75

क्रमांक : प ( ) जरारासंविवि / मी0शा0 / 26 / 3507 दिनांकः– 18/7/26

कार्यपरिषद की 76 वीं बैठक दिनांक 18.07.2026 प्रातः11.00 बजे का बैठक कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 76 वीं बैठक का आयोजन दिनांक 18.07.2026 को प्रातः 11.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन स्थित सभाकक्ष में कुलगुरु महोदय की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1 प्रो0 मदन मोहन झा, कुलगुरू महोदय एवं अध्यक्ष कार्यपरिषद्, जरारासंविवि, जयपुर।
2. प्रो0 यशवीर सिंह, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद् के रूप में कार्यपरिषद् सदस्य एवं प्रोफेसर, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
3. डॉ0 राजेश कुमार जोशी, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित शिक्षाविद् के रूप में कार्यपरिषद् सदस्य एवं आचार्य, संस्कृत विभाग, श्री गोविन्द गुरू राजकीय महाविद्यालय, बाँसवाडा।
4. श्रीमान् शैलेन्द्र स्वामी, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य के रूप में कार्यपरिषद् सदस्य एवं कार्यवाहक प्राचार्य, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जोधपुर।
5. डॉ0 शालिनी सक्सैना, कुलपति द्वारा संकाय अध्यक्षों में से नाम निर्देशित कार्यपरिषद् सदस्य एवं संकायाध्यक्ष, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय, जरारासंविवि, जयपुर।
6. डॉ0 स्नेहलता शर्मा, विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों और संघटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित कार्यपरिषद् सदस्य एवं सहायक आचार्य, साहित्य विभाग, जरारासंविवि, जयपुर।
7. डॉ0 गुंजन सोनी, कुलसचिव तथा सदस्य सचिव (पदेन) कार्यपरिषद्, जरारासंविवि, जयपुर।

सर्वप्रथम कुलगुरु महोदय द्वारा सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् कार्यपरिषद् के बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई एवं गहन विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

बिन्दु संख्या	विवरण	निर्णय
76–01	कार्यपरिषद् की 75वीं बैठक दिनांक 07.05.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
76–02	विश्वविद्यालय में दिनांक 07.09.2026 को आयोजित किये जाने वाले अष्टम दीक्षान्त समारोह में परीक्षा वर्ष 2024 की कुल 9398 उपाधियों एवं 13 स्वर्ण पदक वितरित किये जाने हेतु ग्रेस पास करवाये जाने बाबत् उपाधियों के निम्न विवरणानुसार प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 727 दिनांक 10.07.2026 अनुमोदनार्थः–	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	कक्षा विवरण	उपाधियों की संख्या
1	स्वर्ण पदक	13
2	शास्त्री बी.ए. छठा सेमेस्टर	2509
3	आचार्य द्वितीय वर्ष वार्षिक पद्धति	1289
4	बी.ए. / बी.एस.सी. योग छठा सेमेस्टर	22

18-07-26

18/7/26

5	एम.ए. / एम.एस.सी. योग चतुर्थ सेमेस्टर	96
6	शिक्षाशास्त्री बी.एड. द्वितीय वर्ष	5364
7	शास्त्री शिक्षाशास्त्री चतुर्थ वर्ष	81
8	शिक्षाचार्य एम.एड. चतुर्थ सेमेस्टर	11
9	पी.एच.डी.	26
	कुल उपाधियों की संख्या	**9411**

पुरस्कारः–

1	बी.पी. मौर्य की स्मृति में पुरस्कार 5100/– विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता महिला विद्यार्थी हेतु।	01
2	सागरमल जूनीवाल की स्मृति में पुरस्कार 5100/– शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) अंतिम वर्ष में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता महिला विद्यार्थी हेतु।	01

76–03	1. दिनांक 07.09.2026 को आयोजित किये जाने वाले अष्टम दीक्षान्त समारोह में शोध विभाग में ऐसे 10 छात्र, जिनकी मौखिकी परीक्षा होनी है, उन छात्रों को उपाधि दिये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
	2. दिनांक 10.07.2026 को पीठाध्यक्ष परामर्श समिति द्वारा 05 पीठों पर पीठाध्यक्षों के लिए संस्तुत नामों का अनुमोदन (संलग्न सूचीपत्र)।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
	3. अष्टम दीक्षान्त समारोह में विद्यावाचस्पति (डी.लिट.) की मानद उपाधि प्रदान किये जाने हेतु गठित समिति का कार्यवाही विवरण में विद्वानों के अधोलिखितानुसार नामों का प्रस्ताव अनुमोदनार्थः– 1. ब्रह्मर्षि श्रीसिद्धेश्वर गुरुवानन्द स्वामी – सन्त परम्परा 2. प्रोफेसर रमेश कुमार पाण्डेय – प्रख्यात संस्कृतज्ञ	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
76–04	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(ख) में वर्णित प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की अधिकारिता में महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदन पत्रों का निपटारा करने हेतु सम्बद्धता	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सदस्यों ने यह भी निर्णय लिया कि सम्बद्धता के किसी बिन्दु पर यदि कोई विशेषज्ञ परामर्श की

18-07-26 18/7/26

	समिति के गठन किये जाने का आदेश क्रमांक 925–28 दिनांक 13.05.2026 अनुमोदनार्थ।	आवश्यकता हो तो निम्न समिति से परामर्श लिया जाए:– 1. प्रो0 यशवीर सिंह, कार्यपरिषद् सदस्य, जरारासंविवि, जयपुर–संयोजक 2. प्रो0 शीशराम जी, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली –सदस्य 3. प्रो0 राजेश कुमार जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,नई दिल्ली–सदस्य
76–05	सत्र 2025–26 के लिए पीजीडीसीए पाठ्यक्रम संचालन बाबत् अस्थाई संबंद्धता में अभिवृद्धि हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2)(क) के अनुसार महाविद्यालयों की संबंद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु दिनांक 18.09.2025 को आयोजित निरीक्षण बोर्ड एवं संबंद्धता समिति की संयुक्त बैठक की अनुशंषा एवं इसकी कार्यपरिषद् की स्वीकार्यता की शर्त पर मां भारती महाविद्यालय, टोंक को शर्तों के अध्यधीन अस्थाई संबंद्धता में अभिवृद्धि प्रदान किये जाने का आदेश क्रमांक 930–36 दिनांक 13.05.2026 की पुष्टि।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त आदेश क्रमांक 930–36 दिनांक 13.05. 2026 की पुष्टि की गई।
76–06	विश्वविद्यालय के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर, एकाउण्टेन्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हल्के वाहनों के ड्राईवर, सहायक कर्मचारी, कुक, क्लीनर, बागवान, हेल्पर एवं चौकीदार/गार्ड सेवानिष्पादकों की जॉब बेसिस पर सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु ऑनलाईन निविदा क्रमांक 06/2025–26 में सफल बोलीदाता फर्म से उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित दरों पर जॉब कार्य हेतु स्वीकृति पत्र (LOA), कार्यादेश एवं कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा कराने तथा अनुबन्ध पत्र जमा कराने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव की अनुमोदनार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
76–07	विश्वविद्यालय के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर, एकाउण्टेन्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर, हल्के वाहनों के ड्राईवर, सहायक कर्मचारी, कुक, क्लीनर, बागवान, हेल्पर एवं चौकीदार/गार्ड सेवानिष्पादकों की जॉब बेसिस पर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु सफल बोलीदाता फर्म M/s Karani Safe Security Services Opc Pvt. Ltd., Vaishali Nagar, Jaipur से जॉब कार्य हेतु कार्यादेश क्रमांक	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त कार्यादेश क्रमांक 1374–80 दिनांक 23. 05.2026 का अनुमोदन किया गया।

18/07/26

18/7/26

Helpline No:- +91 7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141 -2850551–75

	1374–80 दिनांक 23.05.2026 अनुमोदनार्थ।	
76–08	विश्वविद्यालय में आवश्यकतानुसार टैक्सी वाहन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रस्तुत दरों एवं नेगोशियेशन उपरांत दरों का सक्षम स्तर से अनुमोदन होने पर दो वर्ष की अवधि हेतु M/s Yadav Travels, Sanganer, Jaipur को दिया गया कार्यादेश क्रमांक 1408–13 दिनांक 26.05.2026 अनुमोदनार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त कार्यादेश क्रमांक 1408–13 दिनांक 26.05.2026 का अनुमोदन किया गया।
76–09	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 17 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण परिसर की देखरेख एवं पुराने भवनों के मरम्मत कार्यों, नवीन कार्यों के तकमीने आदि तैयार करने एवं अन्य सिविल, जल, विद्युत कार्यों के सुचारू संचालन एवं देखरेख हेतु श्री महेन्द्र सिंह कटारा, सेवानिवृत्त परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर, बी–2, सुमेर नगर विस्तार, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर मोबाईल नम्बर 9982683035 को दो वर्ष के लिए सहायक अभियन्ता (तकनीकि विशेषज्ञ) के रूप में नियत पारिश्रमिक राशि रूपये 43800/–(अक्षरे राशि रूपये तियालीस हजार आठ सौ मात्र) प्रतिमाह पर नियुक्त किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक 1805–15 दिनांक 06.06.2026 अनुमोदनार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त कार्यालय आदेश क्रमांक 1805–15 दिनांक 06.06.2026 को निरस्त किया गया।
76–10	विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित गेस्ट हाऊस, ऑपन ऐयर थियेटर, खेलकूद मैदान, खेलकूद प्रांगण के संबंध में विभिन्न संस्थाओं को आयोजन करने बाबत् किराये पर दिये जाने हेतु किराये की दरें निर्धारित किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक 2465–74 दिनांक 22.06.2026 अनुमोदनार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त कार्यालय आदेश क्रमांक 2465–74 दिनांक 22.06.2026 का अनुमोदन किया गया।
76–11	विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद् की 75वीं बैठक दिनांक 07.05.2026 के बिन्दु संख्या 75–1 में परीक्षा शुल्क अभिवृद्धि, परीक्षा केन्द्र व्यय अभिवृद्धि एवं परीक्षा केन्द्र पर शिक्षकों/कार्मिकों की संख्या के निर्धारण के संबंध में परीक्षा सत्र 2026–27 से दरों/शुल्क में अभिवृद्धि की गई थी। उक्त क्रम में दैनिक कार्यों यथा माइग्रेशन, डुप्लीकेट मार्कशीट इत्यादि हेतु 01 जुलाई 2026 से शुल्क में वृद्धि की जा चुकी है। शेष कार्यों में शुल्क वृद्धि हेतु पुनः रखने बाबत् प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 731 दिनांक 10.07.2026 विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 731 दिनांक 10.07.2026 का अनुमोदन किया गया।

18/07/26

18-07-26

76–12	1. विश्वविद्यालय में सत्र 2026–27 की सम्बद्धता, महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक स्टॉफ के अनुमोदन उपरान्त ही जारी किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
	2. शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों के निरीक्षण पर माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण समस्त शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों की जांच कर विधिक सलाहकार से सलाह लेने के उपरान्त ही शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों की अस्थायी सम्बद्धता जारी किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
	टेबल एजेण्डे	
76–13	विश्वविद्यालय परिसर में संचालित शास्त्री, आचार्य एवं बी0ए, एम0ए आधुनिक विषयक पाठ्यक्रमों में संलग्न प्रवेश शुल्क विवरणानुसार वर्तमान में निर्धारित प्रवेश शुल्क कम करने हेतु प्रकरण विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से वर्तमान में निर्धारित प्रवेश शुल्क में निम्नानुसार शुल्क मद में शुल्क कम करने का निर्णय लिया गया:– 1. पुस्तकालय शुल्क – 500 / – 2. छात्र निधि – 300 / – 3. कम्प्यूटर अनुप्रयोग (अनिवार्य) – 500 / – 4. कम्प्यूटर अनुप्रयोग (वैकल्पिक) प्रतिवर्ष – 2000 / – 5. प्रायोगिक शुल्क – (वेद / पौरोहित्य / ज्योतिष हेतु) – 200 / –
76–14	1. मान्यता हेतु संस्थाओं द्वारा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निरीक्षण के पश्चात् पाठ्यक्रम नहीं चलाने हेतु आवेदन करने पर जमा शुल्क वापस नहीं किये जाने का प्रकरण विचारार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
	2. संबंधित महाविद्यालय द्वारा कमीपूर्ति उपरान्त संबद्धता हेतु जिस वर्ष के लिये आवेदन किया गया है, उसी वर्ष में संबद्धता दिये जाने का प्रकरण विचारार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
	3. जांच से पूर्व शुल्क वापस करने हेतु आवेदन पर शुल्क वापस किये जाने का प्रकरण विचारार्थ / निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
76–15	कार्यपरिषद् की 75वीं बैठक दिनांक 07.05.2026 में एजेण्डा बिन्दु संख्या 75–47 में निम्नानुसार एजेण्डा रखा गयाः– "नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका एवं यज्ञशाला प्रोजेक्ट के निर्माण के संबंध में वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.05.2022 एवं कार्यपरिषद् की 70वीं	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया :– 1. श्री विजेन्द्र जी 2. प्रेमजी 3. फणीन्द्र जी

18-07-26

18/7/26

	बैठक दिनांक 21.05.2022 द्वारा रूपये 200 लाख का बजट स्वीकृत किया गया था। वित्त समिति की बैठक दिनांक 25.03.2026 द्वारा भी उक्त बजट यथावत स्वीकृत किया गया है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के पूर्व महामहिम राज्यपाल श्रीमान् कलराज मिश्र जी के करकमलों द्वारा किया जा चुका है। अतः नवग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका एवं यज्ञशाला प्रोजेक्ट के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।" उक्त एजेण्डे के क्रम में कार्यपरिषद् की 75वीं बैठक दिनांक 07.05.2026 के बैठक कायवाही विवरण के बिन्दु संख्या 75–47 में निर्णय लिया गया कि "अग्रिम कार्यपरिषद् में पुनः विचारार्थ रखा जावे।" अतः प्रकरण पुनः विचारार्थ/निर्णयार्थ।	4. कनिष्ठ अभियन्ता 5. संदीप जोशी – संयोजक उक्त कमेटी नक्षत्र वाटिका के प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करेगी। प्रोजेक्ट निर्माण में आवश्यकतानुसार कमेटी सदस्यों का निरीक्षण करवाया जाएगा।
76–16	विश्वविद्यालय के अधिवक्ता पैनल में श्री जय प्रकाश भारद्वाज, अधिवक्ता एवं श्री राजेश राठी, अधिवक्ता को सम्मिलित करने एवं श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय को डॉ0 लम्बोदर मिश्र, से.नि. सह–आचार्य के वाद में अधिवक्ता नियुक्त किये जाने की पुष्टि एवं पैनल में सम्मिलित करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव विचारार्थ/निर्णयार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
76–17	विद्यापरिषद् की 36वीं बैठक दिनांक 15.07. 2026 का बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
76–18	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 17 के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण परिसर की देखरेख एवं पुराने भवनों के मरम्मत कार्यों, नवीन कार्यों के तकमीने आदि तैयार करने एवं अन्य सिविल, जल, विद्युत कार्यों के सुचारू संचालन एवं देखरेख हेतु श्री रामस्वरूप निम्हेल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, प्लॉट न0 74, वर्धमान नगर,–ए, अजमेर रोड़, जयपुर मोबाइल नम्बर 9414278897 को दो वर्ष के लिए सहायक अभियन्ता (तकनीकि विशेषज्ञ) के रूप में नियत पारिश्रमिक राशि रूपये 43800/–(अक्षरे राशि रूपये तियालीस हजार आठ सौ मात्र) प्रतिमाह पर नियुक्त किये जाने का कार्यालय आदेश क्रमांक 3468–78 दिनांक 17.07.2026 अनुमोदनार्थ।	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से कार्यालय आदेश क्रमांक 3468–78 दिनांक 17.07.2026 का अनुमोदन किया गया।
76–19	विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकरणों में समय–समय पर इस विश्वविद्यालय के बाहर अन्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त	सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार बैठक भत्ता/मानदेय का निर्धारिण किया गया:–

18-07-26

18/7/26

Helpline No:- +91 7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in *ई–मेल - jrrsu@yahoo.com* टेलीफैक्स: *0141 -2850551–75*

<table>
<tr><td></td><td>अधिकारी, शिक्षक एवं राज्य सरकार के कार्यरत / सेवानिवृत्त अधिकारी तथा अन्य सदस्यों को विशेषज्ञ अथवा समिति सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। उक्त सदस्यों को दिए जाने वाले मानदेय का निर्धारण नहीं होने के कारण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः इस हेतु मानदेय के निर्धारण बाबत् प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 3488 दिनांक 17.07.2026 विचारार्थ / निर्णयार्थ।</td><td>प्रथम श्रेणी अधिकारी ग्रेड हेतु –
रूपये 5000 / – फुल डे
रूपये 3000 / – पार्ट टाइम</td></tr>
<tr><td>76–20</td><td>विश्वविद्यालय में कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत निम्नांकित सह आचार्यों की स्टेज 4 से स्टेज 5 (आचार्य) एवं सहायक आचार्य की स्टेज 3 से स्टेज 4 (सह आचार्य) की प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की अभिशंसा अनुमोदनार्थः–
<table>
<tr><th>क्रं. सं.</th><th>नाम सह आचार्य / सहा. आचार्य</th><th>प्रोन्नति स्टेज</th></tr>
<tr><td>1</td><td>डॉ0 विनोद कुमार शर्मा, सह आचार्य, ज्योतिष</td><td>स्टेज 4 से स्टेज 5 (AL13A to AL14)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>डॉ0 राजधर मिश्र, सह आचार्य, व्याकरण</td><td>स्टेज 4 से स्टेज 5 (AL13A to AL14)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>डॉ0 माताप्रसाद शर्मा, सह आचार्य, शिक्षा</td><td>स्टेज 4 से स्टेज 5 (AL13A to AL14)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>डॉ0 कैलाश चन्द्र शर्मा, सहा.आचार्य, ज्योतिष</td><td>स्टेज 3 से स्टेज 4 (AL12 to AL13A)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>डॉ0 शिवाकान्त मिश्र, सहा.आचार्य, ज्योतिष</td><td>स्टेज 3 से स्टेज 4 (AL12 to AL13A)</td></tr>
</table></td><td>उक्त प्रकरण में डॉ0 स्नेहलता शर्मा, सदस्य कार्यपरिषद् ने अपनी असहमति पत्र द्वारा यह मत प्रस्तुत किया कि सभी योग्य शिक्षक, जिनके सी0ए0एस आवेदनों की स्क्रुटनी की प्रक्रिया की जा चुकी है, कि पदोन्नति प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरान्त ही कार्यपरिषद् में सभी के लिफाफे एक साथ खोले जावे।
डॉ0 स्नहेलता शर्मा के अतिरिक्त सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सह–आचार्यों की स्टेज 4 से स्टेज 5 (AL13A to AL14) में प्रोन्नति हेतु प्रस्तुत लिफाफा खोलकर पदोन्नति कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई।
शेष सहायक आचार्य की स्टेज 3 से स्टेज 4 (AL12 to AL13A) की प्रोन्नति के लिये चयन समिति द्वारा प्रस्तुत लिफाफे को आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में अन्य और विषयों के सी0ए0एस किये जाने के बाद एक साथ खोले जाने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
</table>

अन्त में सदस्य सचिव, कुलसचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् शान्ति पाठ से बैठक का समापन किया गया।

18-07-26

कुलसचिव

18/7/26

कुलगुरू